

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(अनुभाग-3)

क्रमांक: 1 (16)ग्रामीण/नरेगा/वार्षिक कार्य योजना/2016-17



जयपुर, दिनांक: 25.07.2016

25 JUL 2016

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
महात्मा गांधी नरेगा,  
समस्त राजस्थान।

**विषय :-** महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 का वार्षिक प्लान तैयार करने बाबत।

**महोदय,**

उपरोक्त विषयान्तर्गत महात्मा गांधी नरेगा योजना कियान्वयन हेतु जारी मास्टर सकुर्लर में दिये गये प्रावधानानुसार वार्षिक कार्य योजना तैयार करने हेतु समयसीमा निम्नलिखित तालिका के अनुसार है:-

क्र.सं.	की जाने वाली कार्यवाही	समयावधि
1	ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजना प्रक्रिया की शुरूआत तथा ग्राम सभा/वार्ड सभा द्वारा आयोजना प्रक्रिया पर चर्चा	15 अगस्त से 2 अक्टूबर
2	ग्राम पंचायत स्तरीय वार्षिक कार्य योजना के अनुमोदन के लिए विशेष ग्राम सभा	2 अक्टूबर से 30 दिसम्बर
3	ग्राम पंचायत स्तरीय योजना को ब्लॉक पंचायत में प्रस्तुत करना	5 दिसम्बर
4	ब्लॉक पंचायत द्वारा ब्लॉक स्तर पर समेकित की गई वार्षिक योजना का अनुमोदन तथा इसे जिला कार्यक्रम समन्वयक को प्रस्तुत करना (ब्लॉक स्तर के लिए प्रस्तावित सभी पहलों सहित समेकित श्रम बजट ब्लॉक पंचायत/मध्यस्तरीय पंचायत से अनुमोदित होना चाहिए)	20 दिसम्बर
5	जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा जिला पंचायत में वार्षिक कार्य योजना तथा श्रम बजट प्रस्तुत किया जाना (जिले के लिए प्रस्तावित सभी पहलों जिला स्तर पर अनुमोदित होनी चाहिए)	20 जनवरी
6	जिला पंचायत द्वारा जिला वार्षिक योजना को मंजूरी देना तथा इसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करना	31 जनवरी

अतः उक्त तालिका अनुसार समयबद्ध वार्षिक कार्य योजना तैयार करने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

भवदीय,

परि0 निदे0 एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
- 2 अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समरत राजस्थान।
- 3 रक्षित पत्रावली।

अधिशासी अभियंता, ईजीएस